उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय, 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

पत्रॉक– 34650-54 /वसूली/ओ0टी0एस0/2018–19 दिनांक– 03/05/18

तत्काल/महत्वपूर्ण

मण्डल पर्यवेक्षक,
मण्डल– इलाहाबाद, फैजाबाद, मुरादाबाद,
गोरखपुर,बस्ती, मेरठ, वाराणसी,मिर्जापुर।
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः "एक मुश्त समाधान योजना(OTS योजना)–2018" की साप्ताहिक सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–02/वसूली/ओटीएस/2018–19 दि0 05.04.18 एवं तद्क्रम में निर्गत निर्देश के पत्र सं0–34528–38/वसूली/ओटीएस/2018–19 दि011.04.2018 द्वारा निर्गत निर्देश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा बैंक में लागू की गई "एक मुश्त समाधान योजना–2018" के अन्तर्गत बकायेदारों का चिन्हांकन एवं प्रगति रिपोर्ट साप्ताहिक रूप से मुख्यालय के वसूली अनुभाग को नियमित रूप से भेजने हेतु प्रारूप संलग्न कर समस्त शाखा प्रबन्धकों को प्रेषित किया गया था तथा प्रति आपको इस अपेक्षा के साथ प्रेषित की गई थी कि उक्त सूचना दि0 20.04.18 तक मुख्यालय को प्रेषित करायें।

उक्त के क्रम में "एक मुश्त समाधान योजना–2018" के अन्तर्गत बकायेदारों का चिन्हांकन एवं प्रगति रिपोर्ट की सूचना दि0 02.05.18 तक मण्डल–इलाहाबाद, फैजाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, वाराणसी, एवं मिर्जापुर की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त नहीं हो सकी है। जिसके फलस्वरूप अग्रेतर कार्यवाही में विलम्ब हो रहा है। उक्त स्थिति पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया है कि उक्त सूचना प्रत्येक दशा में दि0 07.05.2018 तक उनके समक्ष प्रस्तुत की जाय।

उपर्युक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आप अपने आवंटित मण्डल की शाखाओं की सूचना निर्धारित प्रारूप पर दि0 30.04.18 तक हुई वसूली को दर्शित करते हुए प्रत्येक दशा में दि0 04.05.18 तक वसूली अनुभाग की मेल0आई0डी0 **upsgvbrec@gmail.com** पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाय। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र के साथ प्रारूप पुनः संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीया,

(शैल कुमारी)
महाप्रबन्धक(वसूली)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त शाखा/वरि0प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपनी शाखा की सूचना तत्काल मण्डलीय कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करें, साथ ही ऐसी शाखायें जिन्होंने सूचना मुख्यालय को प्रेषित कर दी है वह पुनः अपने स्तर पर प्रेषित की गई सूचना का परीक्षण कर लें। चूँकि ओटीएस के अन्तर्गत आच्छादित बकायेदारों की उच्च स्तर पर भी समीक्षा की जा रही है। अतएव धनराशि का सही–सही आगणन/परीक्षण किया जाय।
2. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की वह मुख्यालय को प्रेषित की जा रही उक्त सूचना का परीक्षण अपने स्तर पर भी कर लें।
3. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), को बैंक की शाखाओं को ई0मेल0 कराने हेतु।
4. निजी सचिव(प्रबन्ध निदेशक), प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

महाप्रबन्धक(वसूली)